न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

जीसीएमएस प्रकरण संख्या : 2025/181

अपील संख्या 119/2025 तारीख रजू 18.08.2025

1. घनश्याम पुत्र गोकुल कुम्हार निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. बंशी पुत्र गोकुल कुम्हार निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. रामहरि पुत्र गोकुल कुम्हार निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. हजारी पुत्र नारायण बैरवा निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. गोकुल पुत्र नारायण बैरवा निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. रामप्रसाद पुत्र नारायण बैरवा निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. रामस्वरूप पुत्र नारायण बैरवा निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....रेस्पोडेन्टस

वकील अपीलान्ट्स– श्री गोविन्द प्रसाद मथुरिया
वकील रेस्पोडेन्टस– श्री रमेश चन्द गोयल

निर्णय दिनाक – 12.12.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 02/2025 मे पारित आदेश दिनाक 25.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 337 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम आकोदा तहसील खण्डार से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से श्री रमेश चन्द गोयल एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रमाणित की जाती है
संस्थापन अधिकारी
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अदालत मातहत का निर्णय कतई विधि विरूद्ध होने के कारण लायके खारिज है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य की भली प्रकार से विवेचना नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश लायके खारिज है। रेस्पोडेन्टान ने अधिनस्थ न्यायालय के यहा पर प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही कि अपीलांट काश्त करने में बाधा डालते है इसलिए उसे पाबन्द किया जावे कि काश्त मे बाधा नही डाले इस दर0 से प्रथम दृष्टया धारा 183 बी का प्रकरण नहीं बनता है लेकिन अदालत मातहत ने उक्त दर0 के आधार पर 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर0 दर्ज करने और उस पर बिना पक्षकारों की साक्ष्य लिये प्रकरण का निर्णय कर भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे धारा 42(क) के प्रावधान लागू होने से पूर्व से अपीलान्ट वगैरहा का पूर्वजो के समय से निरन्तर व लगातार विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता नारायण, कल्याणा, भौरया पुत्रान कोरया वगैरहा ने स्वय तहसीलदार खण्डार के समक्ष आराजी ख0न0 337 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम आकोदा खण्डार की भूमि उबड खाबड टीले होने व कब्जा काश्त नही होने के कारण उक्त भूमि से खातेदारी से इस्तीफा दिया है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट है जिस पर दिनांक 29.06.85 की इस्तीफा मंजूर करने बाबत पटवारी की रिपोर्ट है इस प्रकार जब खातेदार 1985 में ही खातेदारी से इस्तीफा देना स्वीकार करता है तो उसके वारिसान Estopel (बिबन्ध) के सिद्धांत के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज नही कर अहम भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इकरार नामा नारायण बहक गोकुल पर अविश्वास कर अहम भूल की है। जिसने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त बताया है नारायण के वारिसान नारायण द्वारा किये गये उक्त एडमिशन के विरूद्ध नहीं जा सकते क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि Admision is the best evidence. अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किय है कि रेस्पोडेन्ट के पिता नारायण द्वारा 1985 में स्वयं तहसीलदार खण्डार (अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि की खातेदारी से इस्तीफा देना स्वीकार किया है इस प्रकार पूर्व में 1985 में उक्त भूमि को लेकर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाने के कारण वर्तमान प्रार्थना पत्र रेस जुडीकेटा धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.06.1985 की पटवारी रिपोर्ट 29.05.1985 के इकरार नामा पर अविश्वास कर अहम भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित भूमि को लेकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार के यहा उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत विभिन्न मुकदमें लम्बित है तथा विवाद उसी न्यायालय से तनकीयात बनाकर उभयपक्षों की साक्ष्य के आधार पर तय कर निर्णय किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि खातेदार नारायण द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित छायाप्रति
सं.प्रशासन अधिकारी
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

स्वयं की खातेदारी से इस्तीफा देने के कारण हद से हद अधीनस्थ न्यायालय विवादित भूमि को राजगामी कर सरकार के नाम दर्ज कर सकता था इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय अन्य कोई अनुतोष नहीं कर सकता था। अपीलान्ट ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार खण्डार के समक्ष पेश किया गया प्रार्थना पत्र धारा 183 बी के तहत चलने योग्य नहीं था। हमारे विरूद्ध तहसीलदार खण्डार द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्टान द्वारा तहसीलदार खण्डार के समक्ष पेश किये गये प्रा0पत्र मे हमारे विरूद्ध उनकी भूमि पर कब्जा करना नहीं बताया गया है अपितु भूमि पर कब्जा करने को आमादा है बताया है जोकि धारा 183बी की श्रेणी मे नहीं आता है। अपीलान्ट ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान के बुजुर्गान के मध्य न्यायालय सहायक जिलाधीश सवाई माधोपुर मे नारायण बनाम गोकुल के नाम से प्रकरण चला जो दिनांक 14.5.1985 को खारिज हुआ जिसमें वादी नारायण वगै0 की तरफ से रेस्पोडेन्टान के वकील श्री रमेश चन्द गोयल है, उपस्थित थे। विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान के बीच में मुकदमा चल चुका है ऐसी स्थिति में कानूनन नये सिरे से पुनः मुकदमा चलना संभव नहीं है। अपने कथन के समर्थन मे वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त वाद के संबंधित दस्तावेज दस्तावेजात सूची अनुसार पेश किये। अपीलान्ट द्वारा बहस मे यह भी तर्क दिया कि हमारे बुजुर्गान और रेस्पोडेन्टान के बुजुर्गान के मध्य दिनांक 26.05.1985 को इकरार नामा हुआ था जिसके अनुसार रेस्पोडेन्टान के बुजुर्गान द्वारा उक्त भूमि अपीलान्ट के बुजुर्गान के नाम कर दी तथा अपीलान्ट तब से ही लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध 183 बी की कार्यवाही नहीं बनती है। अपीलान्ट द्वारा उक्त तर्क के समर्थन मे रूलिंग आर.आर.डी 1984 के पृष्ठ संख्या 821 श्रीमती केसर बाई बनाम राम गोपाल तथा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 30.06.2014 राम करण (मृतक) वगै0 बनाम राजस्थान राज्य वगै0 पेश की गई। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दिये गये तर्को का खण्डन करते हुये बहस मे तर्क दिया है कि आराजीयात ख0न0 337 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम ओंकोदा हमारी खातेदारी कब्जेकाश्त है। उक्त आराजी हमारी पैतृक आराजी है जिस पर बजमाने बुजुर्गानों के समय से हमारा कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट के बुजुर्गान द्वारा पूर्व में उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा होने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर में दिनांक 22.08.1983 में एक दावा दायर किया गया था जोकि तत्समय ग्रामवासियों द्वारा अपीलान्ट के बुजुर्गो को समझाईश करने पर उनके द्वारा उक्त भूमि को छोड देने के कारण हमारे बुजुर्गो द्वारा मुकदमा वापिस लिया गया था। हम रेस्पोडेन्टान गरीब एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनकी जमीन पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने पर तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर ... धारा 183 बी में प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
संस्थापन अधिकारी
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दर्ज कर हमारे पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। अनुसूचित जाति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना अतिक्रमण करने की श्रेणी में ही माना जावेगा चाहे कब्जा कितना भी पुराना हो। रेस्पोडेन्टान वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में विभिन्न रूलिंग आर.आर.डी. 1989 पृष्ठ संख्या 45, आर.आर.डी. 1996 पृष्ठ संख्या 251, आर.आर.डी. पृष्ठ संख्या 396, आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ संख्या 77, आर.आर.डी. 14.11.2013 पृष्ठ संख्या 778, 2014 (3) डीएनजे (राज.) पृष्ठ संख्या 1200 उगम सिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार एव अन्य, 2012 (2) डीएनजे (राज.) पृष्ठ संख्या 1137 बनवारी लाल बनाम आनन्द एवं अन्य, 2016 (2) डीएनजे (राज.) पृष्ठ सख्या 734 ताज मोहम्मद एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल अजमेर एव अन्य, आर.आर.डी. 1996 पृष्ठ संख्या 255, आर.आर.डी. 1996 पृष्ठ संख्या 313 पेश की गई। रेस्पोडेन्ट ने बहस के अन्त मे निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा हमारी भूमि पर किये गये जबरन कब्जे से भूमि को मुक्त करवाया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जाकर तहसीलदार खण्डार के निर्णय को बहाल रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोडेन्ट्स हजारी वगै0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी आराजीयात ख0नं0 337 रकबा 2.14 बीघा पर अपीलान्ट घनश्याम वगै0 जबरन कब्जा करने हेतु आमदा हो रहे है जिनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने बाबत् निवेदन करने पर प्रकरण संख्या 02/25 दिनांक 15.04.2025 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर उभय पक्षों को सुना जाकर दिनांक 25.07.2025 को रेस्पोडेन्ट्स हजारी वगै0 के पक्ष मे आर.टी.एक्ट की धारा 183 बी के तहत निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार खण्डार के आदेश कमांक राजस्व/2025/390 दिनांक 09.05.2025 की पालना में पटवारी हल्का आकोदा द्वारा भिजवाई गई फर्द मौका रिपोर्ट में यह अवगत कराया गया है कि मुताबिक जमाबन्दी रिकार्ड ख0नं0 337 रकबा 2.14 बीघा खातेदार हजारी गोकल रामप्रसाद रामस्वरूप पिता नारायण जाति बैरवा निवासी आकोदा के नाम दर्ज है। उक्त ख0नं0 337 रकबा 2.14 बीघा पिछले 30–35 वर्षो से घनश्याम, बंशी, रामहरी पिता गोकल जाति कुम्हार द्वारा खेती की जा रही है तथा उनका ही कब्जा रहा है। नारायण पुत्र देव्या जाति बैरवा द्वारा ख0नं0 337 में गोकल पुत्र गोरया जाति कुम्हार के पक्ष में इकरारनामा लिखा गया। वर्तमान में भी उनका ही कब्जा काश्त है। अपीलान्टस द्वारा दौराने बहस न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 233/83 बउनवानी नारायण बनाम गोकूल के निर्णय दिनांक 14.05.1985 की आर्डरशीट की, नारायण पुत्र देव्या जाति बैरवा का प्रा0पत्र 10.05.1985 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है। न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 233/83 निर्णय दिनांक 14.05.1985 का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि अपीलान्टस के बुजुर्गो एवं रेस्पोडेन्टस के पिता ... ख0नं0 337 रकबा 2 बीघा 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
संस्थापन अधिकारी
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बिस्वा के संबंध मे एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर मे चला था जिसमे रेस्पोडेन्टस के पिता द्वारा दिनाक 10.5.85 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त उनवानी दावा चलाना नहीं चाहने के कारण दावा विड्रा किया है। अपीलान्टस एव रेस्पोडेन्टस के बुजुर्गान के मध्य दिनाक 26.5.85 को इकरारनामा किया गया है जिसमे अपीलान्ट्स के बुजुर्गान द्वारा अंकित किया गया है कि "हमारा व हमारे वारिसान का आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा स्थित ग्राम आकोदा तहसील खण्डार से आज से भविष्य मे हमारा कोई अधिकार नही रहेगा हम हमारे समस्त अधिकार समाप्त करते है और इकरार करते है कि यह भूमि गोकूल पुत्र श्री गोरया कुम्हार निवासी ग्राम आकोदा तहसील खण्डार के कब्जे काश्त व खातेदारी मे रहेगी।" इस प्रकार अपीलान्टस एव रेस्पोडेन्टस के मध्य 40 वर्ष से अधिक पुराना विवाद रहा है किन्तु रेस्पोडेन्टस द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर से दावा विड्रा करने के उपरान्त से वर्ष 2025 तक यानि लगभग 40 वर्ष तक उक्त ख0न0 337 रकबा 2.14 बीघा के संबंध में अपीलान्टस द्वारा जबरन कब्जा करने के संबध मे सक्षम न्यायालय मे कोई वाद दायर नहीं किया है तथा पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्टस का कब्जा 30–35 वर्ष पुराना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस द्वारा उक्त ख0न0 337 रकबा 2.14 बीघा पर जबरन कब्जा साबित नहीं होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी मुख्य रूप से अतिकमियो (Tresspassers) की बेदखली से संबंधित है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की भूमि के संरक्षण के लिए इस अधिनियम मे "संक्षिप्त प्रक्रिया" (Summary Manner) जोड़ी गई है। धारा 183-B यह प्रावधान करती है कि यदि SC/ST की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा/अतिक्रमण किया गया है, तो तहसीलदार एक संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) के माध्यम से अतिक्रमी को तुरंत बेदखल कर सकता है। सामान्य दीवानी वाद (suil) के बजाय, इसमें तहसीलदार को संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर त्वरित निर्णय लेने और बेदखली करने का अधिकार है। किन्तु इस प्रकरण मे संक्षिप्त विचारण (Summary trial) की प्रकिया अपनाई नही जा सकती है क्योंकि अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर विगत 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुए आपसी सहमति/समझौते के साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा लगभग 40 वर्ष से अपीलान्ट्स का कब्जा होने पर भी सक्षम न्यायालय के समक्ष बेदखली की कार्यवाही हेतु किसी भी प्रकार का वाद/प्रा0पत्र पेश नही किया गया है। इस प्रकरण में संक्षिप्त विचारण (Summary trial) के आधार पर निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण धारा 183बी मे कवर नही होता है। नियमित वाद के आधार पर ही उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होगा जिसमे समस्त पक्षों को सुना जाकर तथा समस्त दस्तावेजो, तथ्यो तथा साक्ष्यो को रिकार्ड पर लिया जाकर वाद का नियमानुसार निस्तारण किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रमाणित छायाप्रति
संस्थापन अधिकारी
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर

वकील रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पेश किये गये माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 30.06.2014 राम करण (मृतक) वगै0 बनाम राजस्थान राज्य वगै0 के अनुसार भी उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183बी मे कवर नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

प्रमाणित कार्यवाही
संस्थापन अधिकारी
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested